संख्या-82/2015/669/71-1-2015-जी-24/2015

प्रेषक

शैलेन्द्र नाथ शुक्ल,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेरठ, झॉसी से सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015/557, दिनॉक 25-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत असाध्य रोगों के ईलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में कुल रू0 99,70,000/- (रू0 निन्याबे लाख सत्तर हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष न्यू स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय तथा बाल चिकित्सालय, इलाहाबाद हेतु मानक मद-39-औषधि तथा रसायन में रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख मात्र), महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉसी से सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु मानक मद-39-औषधि तथा रसायन में रू0 12,20,000/- (रू0 बारह लाख बीस हजार मात्र), मानक मद-43-सामग्री और सम्पूर्ति में रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख मात्र), सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय, मेरठ हेतु मानक मद-39-औषधि तथा रसायन में रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख मात्र), मानक मद-43-सामग्री और सम्पूर्ति में रू0 5,00,000/- (रू0 पॉच लाख मात्र) तथा हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु मानक मद-39-औषधि तथा रसायन में रू0 40,00,000/- (रू0 चालीस लाख मात्र), मानक मद-41-भोजन पर व्यय में रू0 2,50,000/- (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) कुल रू0 99,70,000/- (रू0 निन्याबे लाख सत्तर हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-15-मेडिकल कालेज/सम्बद्ध अस्पताल-04-न्यू स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय तथा बाल चिकित्सालय, इलाहाबाद-39-औषधि तथा रसायन-07-महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉसी से सम्बद्ध चिकित्सालय-39-औषधि तथा रसायन-43-सामग्री और सम्पूर्ति-08- सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय, मेरठ-39-औषधि तथा रसायन-43-सामग्री और सम्पूर्ति" तथा लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-44-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट-39-औषधि तथा रसायन-41-भोजन पर व्यय" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-566/दस-2015, दिनॉक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

संख्या:-82/2015/669(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, झॉसी तथा मेरठ।
3- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, झॉसी, मेरठ तथा कानपुर।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबद, झॉसी, मेरठ तथा कानपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।